बिहार सरकार

शिक्षा विभाग,

अधिसूचना

सं0–3/आ01–213/2016................./श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी के विरूद्ध निदेशक मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 2052 दिनांक 16.12.2016 द्वारा प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र–'क' में गठित आरोपों यथा "माह सितम्बर से नवम्बर 2016 में एक भी विद्यालय का निरीक्षण नहीं करने, मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता के विरूद्ध राशि बसूली नहीं करने एवं लंबे समय तक मध्याह्न भोजन योजना से वाधित विद्यालयों की संख्या अधिक रहने" के लिए श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–2005 के नियम (9) सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबित अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा कार्यालय में निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबिन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम (10) के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन अविध के निर्धारित मुख्यालय से देय होगा।

4. श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पद पर नियमित पदस्थापन या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक श्री अहसन,वरीयतम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी के पद के प्रभार में (वितीय अधिकार सहित) रहेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सुशील कुमार)

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक–3/आ01–213/2016–1055/ पटना, दिनांक–26/12/16/

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव (वै0दा0नि0को0) वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दरभंगा प्रमण्डल दरभंगा/जिला पदाधिकारी मधुबनी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी/प्रशाखा पदाधिकारी, पटना–02 एवं प्रशाखा–03 शिक्षा विभाग, बिहार पटना/श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधुबनी/श्री अहसन, वरीयतम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुबनी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26-XII-2016

(सुशील कुमार)

निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव